न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 117/2013
GCMS No. : 2013/00013

–:: प्रार्थी ::–

1. अब्दूल हाफीज पुत्र अब्दूल अजीज
जाति– सिलावट मुसलमान,
निवासी–5 वीं रोड़ ईदगाह,
जाकिर हुसैन कॉलोनी, गली नम्बर–02, मकान नम्बर 209, जोधपुर, तहसील व जिला– जोधपुर(राज)

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मोहम्मद ईकबाल पुत्र अब्दूल सत्तार
2. मोहम्मद अमीन पुत्र अब्दूल सत्तार
3. जैतून पुत्री अब्दूल सत्तार
4. खतीजा बेवा अब्दूल सत्तार
जातियान– सिलावट मुसलमान,
निवासीगण–ग्राम बलुन्दा, तहसील–जैतारण, जिला– पाली।
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जैतारण, जिला–पाली राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 26/02/2013

उपस्थितः. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चन्दन सिंह गोयल, श्री रामस्वरूप भाटी, अधि. अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1077 रकबा 11–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि सायल की पैतृक व पुश्तैनी आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि सायल के पिता अब्दूल वल्द जमाल जी के नाम राजस्व रेकर्ड संवत 2016 से 2019, 2017 से 2060 बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज थी। उपरोक्त जमीन की जमादी की नकलें व वर्तमान जमाबंदी की नकले प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। उपरोक्त जमीन पर पहले सायल के पिता का कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में सायल का इस भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायल के पिता की मृत्यु के बाद सायल के नाम भरे… कानूनी प्रावधान होने के बावाजूद भी सायल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार… किया गया। सायल को अपने पिता की पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता के स्थान पर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने की जानकारी नही होने की वजह से तथा अनपढ़ होने की वजह से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं करा सका, लेकिन सायल का अपनी पैतृक कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त रहा है तथा हर वर्ष सायल विना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करता रहा है तथा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से प्राप्त होने वाली फसलों को प्राप्त कर रहा है। सायल को अपनी पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर, भूमि को उपजाऊ बनाने तथा इस भूमि पर होने वाले खर्चे पर लोन (ऋण) आदि लेने के लिये राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता होने पर खसरा नम्बर 1077 की जमाबंदी की नकलें दिनांक 10.12.2012 को लेने पर अपनी पैतृक कृषि भूमि मे अपने नाम के स्थान पर गैरसायलान के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने वाली जानकारी प्राप्त हाने पर गैरसायलान जो की सायलगण के परिवार के सदस्य ही है। अपने जमीन में गैरसायलान के गलत नाम इन्द्राज होने तथा गलत रूप से दर्ज हुये नामों की हटाने की बात कहने पर गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में सायल के स्थान पर अपने नामों को हटाने से स्पष्ट मना कर दिया तथा सायल को कहा कि राजस्व रेकर्ड में उनके नाम दर्ज है। इसलिये उस जमीन पर कब्जा करेगे तथा उपरोक्त जमीन का वह है कि गैरसायलान सावल की पैतृक कृषि भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज होने के आधार पर इस जमीन का बेचान करने, हस्तान्तरण करने रहन, वसीयत करने पर आमादा है। सायल के पैतृक कृषि निर्मे साबल के नाम के स्थान पर गैरसायलान के जो नाम राजस्व रेकर्ड में आपस में मिलीभगत कर इन्द्राज करवाये है। जो एक रोंग एन्द्री (इन्द्राज) है। जो सायल के हक व अधिकारों के विपरित होने से शून्य है। इस शून्य प्रविष्टि के आधार पर गैरसायलान को सायल की जमीन पर कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। न ही इस शून्य प्रविष्टि के आधार पर बेचान, हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान इस जमीन पर कब्जा कर लेते है तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचान कर देते है तो सावल अपने हक व साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से बेचान हस्तान्तरण, वसीयत करने से रोका जाना कानूनी अति आवश्यक है। अन्यथा सायल व गैरसायलान के मध्य विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी। सायल गैरसायलान को किसी भी रूप में अपनी जमीन पर कब्जा करने नही देगा। रॉन्ग प्रविष्टि के अधार पर सायल के स्थान पर जो गैरसायलान के नाम दर्ज किये है। उसे सायल हटवाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराने से सायल को उसकी पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1077 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन अति आवश्यक है। सायल के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित कृषि भूमि के आधार पर तथा कब्जे एवं तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया बखूबी सावित है। सायल के पास राजस्व रेकर्ड में अंकित गैरसावलान के नाम रोंग प्रविष्टि को शून्य घोषित करवाने व उनके स्थान पर सायल का नाम दर्ज करवाने [illegible] घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई [illegible] शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के [illegible] तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर एवं [illegible]यल के शपथ पत्र के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष मे प्रमाणित हैं यदि गैरसायलान उक्त भूमि को जबरदस्ती सायल को बेदखल कर किसी अन्य को बेचान, रहन व वसीयत कर अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायल को अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्षति होगी, तब मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब सायल को असीम हानि होगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है, तब यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के इस आशय की जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि का गैरसायलान को कब्जा करने, बेचान, रहन, वसीयत व अन्य हस्तान्तरण आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक गैरसायलान स्वयं, उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार व परिवार के सदस्यों, को रोका जावे तथा उपरोक्त कृषि भूमि को सायल द्वारा उपयोग, उपभोग, करने काश्त करने में गैरसायलान या उनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य को दखलंदाजी करने से अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण को जवाब प्रा0पत्र पेश करनें हेतु अनेकानेक अवसर देनें के बावजूद वकील अप्रार्थी जवाब प्रा0पत्र पेश करनें में असफल रहनें से जवाब प्रा0पत्र बन्द किया जाता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

(1) <u>प्रथमदृष्ट्या मामला</u> :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि सम्वत् 2016 से 2019 व 2057 से 2060 के दौरान जमाबन्दी में वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होनें तथा वादी का उक्त भूमि में उत्तराधिकारी निहित होनें से खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय हाजा में जैरकार है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है।

(2) <u>सुविधा का संतुलन</u> :- चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है, साथ ही प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसके हक हिस्से तक उसके उपभोग उपयोग में है, साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] करनें में असफल रहें है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में स्थापित होता है।

(3) <u>अपूरणीय क्षति :-</u> उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है साथ ही चुंकि वादी द्वारा भू-अभिलेख की वर्तमान प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा किया है। अतः यह पूर्ण संभावना है कि ऐसी ही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त आराजी का रहन/हस्तान्तरण हो सकता है तथा ऐसा होने पर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब एवं जटिलता उत्पन्न होना स्वभाविक है। अतः अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भी प्रार्थी को ही होनें की आशंका है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में भली भांति स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान एवं हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1077 रकबा 11–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested